FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मूलचन्द बनाम तहसीलदार, नीमकाथाना

किस्म मुकदमाः– वाद पत्र धारा 88 मु0नं0 472 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1169

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18-11-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.12.2024 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
9/12	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 20/2/25 को पेश हो।	
20/02/2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07/04/25 को पेश हो।	
7/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 16/5/25 को पेश हो।	
16/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 25/6/25 को पेश हो।	
25/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 5/9/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:54:08 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible]
P.O [illegible] [illegible] कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/9/25
को पेश हो।

11/9/25

पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible]
P.O साहब [illegible] कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25
को पेश हो।

24/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता का नाम ''रामकुंवार पुत्र किशनाराम'' दर्ज हैं जबकि वादी का नाम ''रामकुंवार पुत्र किशनाराम'' की जगह ''रामकुंवार पुत्र बोदूराम'' सही होना बताया हैं उक्त की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, अन्य भूमि की जमाबन्दी, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तन ग्राम लाखा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 688 व 689 कुल किता 02 कुल रकबा 3.04 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम ''रामकुंवार पुत्र किशनाराम'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''रामकुंवार पुत्र [illegible]'' दुरुस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दा[illegible] दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.10.06 15:54:08 I
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. मूलचन्द पुत्र रामकुंवार गुर्जर जाति गुर्जर निवासी लाखा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.। –वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.। –प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा
मुकदमा नं. 48 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम लाखा की नांगल पटवार हल्का नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 688 व 689 कुल किता 02 कुल रकबा 3.04 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम ''रामकुंवार पुत्र किशनाराम'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''रामकुंवार पुत्र बोदूराम'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
.निज.....................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **24** माह **09** सन् **2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का [illegible] हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:54:08 IST
Reason: SelfAttested